

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1836 /2019 दिनांक : 17.09.2019

डॉ. मनोज सिंघारिया (RJ1116), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर को दिनांक 03.10.2019 से 05.10.2019 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 02.10.2019 एवं 06.10.2019 से 08.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. सिंघारिया की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-06, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/104/2016/ 8792 दिनांक : 17.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 10071 दिनांक 09.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. मनोज सिंघारिया (RJ1116), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-06, जोधपुर महानगर ।


सहायक रजिस्ट्रार